

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-अतरौलियाएक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, इनामिया, अवैध शराब बिक्री के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणश्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुरश्री महेन्द्र कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज पाण्डेय अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में दिनांक 21.05 .2021 को SI गोपाल जी मय हमराह का 0 कमलेश सिंह व का 0 रणविजय द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन चेकिंग में अतरौल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूट का वांछित अभियुक्त आनन्द यादव पुत्र जगदीश यादव मादेपुर पोखरा पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर उ 0नि0 गोपाल जीमय हमराह के खाना को होकर मादेपुर पोखरा पहुंचे तो पुलिस वालों को देख कर हड़बड़ा कर भागना चाहा फिर पुलिस वाले आवश्यक बल का प्रयोग कर घर घर पकड़ लिये। पकड़े गये अभियुक्त का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम आनन्द यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम मादेपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०सं० 199/2017 धारा 394 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- आनन्द यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम मादेपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ०नि० गोपाल जी थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. का० कमलेश सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
3. का० का० रणविजय थाना अतरौलिया आजमगढ़

थाना-गम्भीरपुरगोवध के वांछित 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गिरफ्तारी वांछित अभियुक्तगण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में उ०नि० अमरनाथ यादव मय हमराह क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की मु० अ०सं० 192/20 धारा 307 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण व अभियुक्तागण बिन्द्राबाजार से आटो पकड़कर मुहम्मदपुर की तरफ जा रहे यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं इस सूचना पर विश्वास करके अभियुक्तगण के गिरफ्तारी हेतु अमन चाइल्ड थाना के पास इन्तजार कर रहे थे कि उधर से आ रहे आटो को रोका गया तथा उसमें बैठे सवारी से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम क्रमशः 1. बेलाल पुत्र शमसुद्दीन, 2. हेलाल पुत्र शमसुद्दीन तथा म० का० स्वप्निल सक्सेना द्वारा खड़ी महिलाओं का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम 3-मुसरत पत्नी असरफ-रोजी उर्फ रोजीना पत्नी 5- गुलिस्ता पत्नी बेलाल निवासी गणमंगरावा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ बताया जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 11.50 बजे वजाफता वाकायदा हिरासत पुलिस में लिया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा० न्यायालय भेज जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1- मु.अ.स. 192/20 धारा 307 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. बेलाल पुत्र शमसुद्दीन निवासी मगराँवा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. हेलाल पुत्र शमसुद्दीन वर्ष निवासी मगराँवा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
3. मुसरत पत्नी असरफ निवासी मगराँवा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
4. रोजीना उर्फ रोजी पत्नी हेलाल निवासी मगराँवा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
5. गुलिस्ता पत्नी बेलाल निवासी मगराँवा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर आजमगढ़
उ.नि. अमरनाथ यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
हे.का. महेन्द्र कुमार थाना गंभीरपुर आजमगढ़
का0 अमरजीत यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
म0का0 रत्नावली कुशवाहा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना- बरदह

अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक गिरफ्तार

आज दिनांक 20.05.21 को आबकारी निरीक्षक हरीन्द्र कृष्णन तथा प्रधान आबकारी सिपाही अशफाक अहमद क्षेत्र 8 मार्टिनगंज आजमगढ़ तथा आबकारी सिपाही रियाजुद्दीन प्रवर्तन-2 , आजमगढ़ के मय प्राइवेट वाहन से नकली , अवैध तथा मिश्रित शराब बरामदगी छापामारी करते हुए थाना बरदह क्षेत्र में मामूर थे। थाना बरदह क्षेत्र में ग्राम महुवारी में मिश्रित शराब की शिकायत पर थाना प्रभारी बरदह से सम्पर्क कियेतथा क्षेत्र से उपनि0 शमशाद अली उपनिरी0 राजबहादुर यादव , का0 अमन शुक्ला, हे0का0 सुरेश यादव , महि0 आरक्षी सुषमा सिंह को साथ लेकर मय फोर्स के ग्राम महुवारी जा रहे थे तो रास्ते में भगवानपुर के पास मुखबिरखास द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम महुवारी में सत्यम राय पुत्र कलन्दर राय अपने घर पर मिलावटी शराब बनाकर बेचने का काम कर रहा है और उसके काफी मात्रा में मिलावटी शराब मिल सकती है सूचना विश्वास करके मय आबकारी निरी0 मय फोर्स के ग्राम महुवारी आया और हमराही फोर्स को आदेश निर्देश देकर सत्यम के घर पर दबिश दी गई तो एक कमरे में एक व्यक्ति मिला तथा इसके पास में 5 लीटर की प्लाष्टिक की सफेद केन में फुल भरा दृव्य तथा 55 पौवा जिसमें 45 पौवे पर लेबल बंटी बबली लिखा है तथा 10 पौवे पर मिस्टर इण्डिया लिखा है सभी पौबे खुले हुए हैं तथा 500 ग्राम करीब यूरिया तथा 200 ग्राम नौशादर मिला। उपरोक्त सारे पौबे में दृव्य भरा है। व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सत्यम राय पुत्र कलन्दर राय निवासी ग्राम महुवारी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया बरामद दृव्य को स्वयं सूँघा तथा हमराह कर्म0गण को सुघाया तो शराब की गन्ध आ रही है। प्राथमिक तौर पर मिले सामान के आधार पर उक्त व्यक्ति द्वारा मिश्रित शराब बनाने का कार्य किया जा रहा है। पकड़े गये व्यक्ति को समय करीब 13.30 बजे हिरासत पुलिस में लेकर नियमानुसार वास्ते पेश करने माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

आबकारी निरीक्षक हरीन्द्र कृष्णन तथा प्रधान आबकारी सिपाही अशफाक अहमद क्षेत्र 8 मार्टिनगंज आजमगढ़ तथा आबकारी सिपाही रियाजुद्दीन प्रवर्तन-2 व उ0नि0 शमशाद अली उ0नि0 राजबहादुर यादव , का0 अमन शुक्ला , हे0का0 सुरेश यादव, महि0 आरक्षी सुषमा सिंह द्वारा एक नफर अभियुक्त सत्यम राय पुत्र कलन्दर राय निवासी ग्राम महुवारी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय करीब 13.30बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि साहब यही हमारे रोजी रोटी का जरिया है गलती के लिये माफ कर दीजिए

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 105/21 धारा272/273 भा0द0वि0 60 क आबकारी अधि0, थाना-बरदह, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सत्यम राय पुत्र कलन्दर राय निवासी ग्राम महुवारी थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

- 1- 5 लीटर की प्लाष्टिक की सफेद केन में फुल भरा दूध तथा 55 पौवा जिसमे 45 पौवे पर लेबल बंटी बबली लिखा है
- 2- 10 पौवे पर मिस्टर इण्डिया लिखा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- आबकारी निरीक्षक हरीन्द्र कृष्णन तथा प्रधान आबकारी सिपाही अशफाक अहमद क्षेत्र 8 मार्टिनगंज आजमगढ़
- 2- आबकारी सिपाही रियाजुद्दीन प्रवर्तन-2
- 3- उ0नि0 शमशाद अली उ0नि0 राजबहादुर यादव, का0 अमन शुक्ला, हे0का0 सुरेश यादव, महि0 आरक्षी सुषमा सिंह